रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2015/कार्तिक 25, 1937
No. 700] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2015/ KARTIKA 25, 1937

indiacode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 857(अ).—केंद्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में जून 2015 में आयोजित इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् के निर्वाचन के मामले में अधिनियम की धारा 10क के अधीन उद्भूत किसी विवाद का विनिश्चय करने के लिए गठित अधिकरण से संबंधित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में मद (i), (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(i) श्री सुरेश चंद्रा, - पीठासीन अधिकारी
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार,
विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001

(ii) श्री आर. असोकन, -सदस्य
सलाहकार (लागत) कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कांप्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110001

(iii) श्री एन.के. भोला, -सदस्य"
क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) और
क्षेत्रीय निदेशक (एन ई आर),
कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
कोलकाता – 700 020

[फा. सं. 2/4/2015-पीआई]
के वी आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2015

G.S.R. 857(E).—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 10 B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and in pursuance of rule 3 of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs notification number GSR 787(E) dated the 15th October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15th October, 2015, pertaining to establishment of a Tribunal to decide any dispute arising under Section 10A of the Act in the matter of election to the Council of the Institute of Cost Accountants of India held in June 2015, namely:-

2. In the said notification, for items (i), (ii) and (iii), the following shall be substituted, namely:-

"(i)	Shri Suresh Chandra, Joint Secretary and Legal Advisor, Ministry of Law and Justice, Department Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 001.	-Presiding Officer
(ii)	Shri R. Asokan, Advisor (Cost), Ministry of Corporate Affairs, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110 001.	- Member
(iii)	Shri N.K. Bhola, Regional Director (Eastern Region) and Regional Director (NER), Ministry of Corporate Affairs, Kolkata - 700 020	-Member"

[F. No. 2/4/2015-PI]

K V R Murty, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.